भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या:87
उत्तर देने की तारीख: सोमवार, 22 जुलाई, 2024
31 आषाढ़, 1946(शक)

एएसआई संरक्षित स्मारकों की सुरक्षा

87. श्री योगेन्द्र चांदोलिया:
क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के स्मारकों के संरक्षण के लिए सुरक्षाकर्मियों की कमी है ;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारकों मे तोड़-फोड़ की कितनी घटनाएं हुई हैं और उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) सरकार द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के स्मारकों के रख-रखाव और संरक्षण के लिए किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है ;

(घ) सरकार द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारकों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं ; और

(ङ) क्या सरकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण स्मारक के परिसरों में जन सुविधाओं के निर्माण के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर
संस्कृति और पर्यटन मंत्री
(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) जी, नहीं। 3507 एमटीएस स्टाफ, जिनसे पहरा और निगरानी का काम भी लिया जाता है, के अलावा 2763 अतिरिक्त प्राइवेट सुरक्षाकर्मियों को तैनात करके सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ किया गया है। इसके अलावा दिल्ली में लाल किला और आगरा में ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था 592 केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिकों को तैनात करके की जाती है।

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सरंक्षित स्मारको में तोड़फोड़ की घटनाओं का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सुरक्षा संरक्षित स्मारकों और स्थलों के सरंक्षण, परिरक्षण और रख-रखाव पर किया गया व्यय निम्नानुसार है:

वर्ष	व्यय (करोड़ रुपयों में)
2021-22	413.09
2022-23	508.01
2023-24	585.85

(घ) सरंक्षित स्मारकों और स्थलों पर पहरा और निगरानी के लिए मल्टी टास्किंग स्टाफ की तैनाती की गई है। इसके अलावा चुनिंदा स्मारकों पर प्राइवेट सुरक्षाकर्मी और केंन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तैनात है और इसका समय-समय पर निरीक्षण भी किया जाता है।

(ङ) सरकार ने सरंक्षित स्मारकों में शौचालय, पेयजल, ब्रेल संकेतन, पगडंडियाँ, रैम्प, व्हील चेयर, वाई-फाई, कैफेटरिया, बैंच आदि जन सुविधाएं उपलब्ध करायी गई हैं। ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराना और उनका उन्नयन करना एक नियमित कार्य है।

अनुबंध

लोकसभा में दिनांक 22.07.2024 को उतरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 87 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध ।

पिछले पांच वर्षों के दौरान संरक्षित स्मारकों / संरक्षित क्षेत्रों में हुई तोड़फोड़ की घटनाओं का विवरण।

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्मारकों का नाम	तोड़फोड़ की घटनाएं	वर्ष
1.	बिहार	दतियाना, जिला पटना, बिहार में शिथिल मूर्तियां और प्रतिमाएं	विष्णु की मूर्ति की चोरी	2022
2.	दिल्ली	लाल किला, दिल्ली	टिकट प्रणाली, प्रवेश द्वार और आरआर बैरक को नुकसान।	2021
		जफर महल, महरौली	स्मारक की जेल को नुकसान पहुंचाया गया।	2023
3.	कर्नाटक	कमलापुरा में हाथी अस्तबल के स्मारक से सटा विष्णु मंदिर	एक खंभा गिरा दिया गया है।	2019
		सदाशिव मंदिर, नुग्गेहल्ली , चन्नरायपटना तालुक, जिला हसन	तांबे के कलश की चोरी	2020
		नदाकलासी, सागर में रामेश्वर मंदिर तालुक, मांड्या	गणेश की आधुनिक पत्थर की मूर्ति की चोरी ।	2021
		मारेहल्ली तालूक, मालवल्ली में लक्ष्मीनरसिम्हा मंदिर	गणेश जी की पत्थर की मूर्ति की चोरी ।	2022
4.	ओडिशा	शिशुपालगढ़ किला	शिशुपालगढ़ , भुवनेश्वर की प्राचीर की दीवार को हटाकर सड़क का अवैध निर्माण।	2021
		शिशुपालगढ़ किला	भुवनेश्वर के शिशुपालगढ़ के पश्चिमी किनारे पर प्राचीन प्राचीर की दीवार को काटना ।	2023
5.	तेलंगाना	चार मीनार, हैदराबाद	तोड़फोड़ की एक घटना.	2022
6.	उत्तराखंड	मृत्युंजय मंदिर, द्वाराहाट , जिला अल्मोड़ा	एक शिवलिंग को क्षतिग्रस्त किया गया।	2021
7.	उत्तर प्रदेश	दौलतपुर, ललितपुर जिला।	प्रतिमा का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त कर दिया गया ।	2022
		कालिंजर किला	कालिंजर किले में महिला की एक मूर्ति/मूर्ति का हिस्सा तोड़ दिया गया ।	2023

*****